न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

**सदस्य**

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक : 3449–दो/2016 -- विरूद्व - आदेश दिनांक 19–8–2016 - पारित व्दारा - तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1972–तीन/2006 निगरानी

शॅकर साहू पुत्र धनुकधारी साहू
ग्राम विलौजी तहसील व जिला सिंगरोली ——आवेदक

विरूद्व

1– मु. सुबसिया पत्नि स्व.हीरालाल साहू
मृत वारिस
रामसजीवन साहू पुत्र स्व.हीरालाल साहू
मृत वारिस
अ– श्रीमती तिजिया पत्नि स्व. रामसजीवन
ब– अरबिन्द पुत्र स्व. रामसजीवन
ग्राम विलौजी तहसील व जिला सिंगरोली
स– श्रीमती चंदा शाह पुत्री स्व. रामसजीवन
पत्नि कृष्णकुमार शाह ग्राम खुदार टीला
टोला तहसील व जिला सिंगरोली
द– श्रीमती अर्चना शह पुत्री स्व. रामसजीवन
पत्नि राजेन्द्र कुमार ग्राम तिमरा तहसील
व जिला सिंगरोली
3– रामदास साहू पुत्र स्व.हीरालाल साहू
4– रामराज पुत्र स्व.हीरालाल साहू
दोनों ग्राम विलौजी तेलियान तहसील व जिला सिंगरोली
5– श्रीमती धनकुमारी पत्नि स्व. समयलाल
6– सरजूलाल 7– राजलाल 8– सूरजलाल
पुत्रगण स्व.समयलाल सभी निवासी
ग्राम ताली तहसील व जिला सिंगरोली
9– रूपबन्ती 10– यशोदा पुत्रीयॉ स्व. वल्देव
11– श्रीमती मटुरी पत्नि स्व. बल्देव
तीनों ग्राम बिलौजी तिलायन
तहसील व जिला सिंगरोली
12– श्रीमती दशोदरा पत्नि रामलल्लू पुत्री
बल्देव ग्राम बनोली तहसील सिंगरोली
13– श्रीमती मुन्नी पुत्री बल्देव पत्नि विजय साहू
ग्राम जरहा तहसील व जिला सिंगरोली

14– लल्लूप्रसाद शाहवाल मा.सुकवरिया पुत्र रामकुमार
कुकवारिया पुत्री रामकुमार ग्राम ताली
15– लक्ष्मीप्रसाद शाहवाल सुकवारिया पुत्री रामकुमार
निवासी रजमिलान
16– गोपाल मॉ बिरजू पुत्र मंगल साहू ग्राम ताली
17– छोटे मॉ बिरजू पुत्र मंगल साहूल ग्राम ताली
18– रामजी मॉ मुनिया पुत्र मनराखन साहू ग्राम गलिहरा
19– सभापति मॉ मुनिया पुत्र मनराखन साकिन जैतपुर
20– हजारी दत्तक पुत्र वृन्दावन साहू
21– मु.मन्तुआ वेवा घनसेर साहू
22– धर्मजीत 23– जैतलाल 24– बुद्धलाल पुत्रगण घनसेर साहू
25– प्रेमलाल पुत्रगण स्व. रामसुमारू निवासीगण
ग्राम बिलौजी तहसील व जिला सिंगरोली
26– शोभनाथ पुत्र बलभद्र साहू
27– श्रीमती बसंती पुत्री बलभद्र साहू पत्नि प्रयागलाल
साहू ग्राम गहिलवार सा. गहिलगढ पश्चिम
28– कामताप्रसाद 29– सरनाम सिंह 30– हजारीलाल
पुत्रगण स्व. रामलखन ग्राम विलोजी तिलयान
29– प्रभा पुत्री स्व. रामलखन निवासीगण विलोजी
तिलयान तहसील व जिला सिंगरोली
30– सीताशरण 31– जियालाल 32– मेवालाल
33– भानदास पुत्रगण जनक साहू सभी निवासी
ग्राम विलौजी तहसील व जिला सिंगरोली

——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी एंव श्री पी.एस.बघेल)

## आ दे श

## (आज दिनांक 8-01-2019 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्र0क0 1972-तीन/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-2016 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शॅकर साहू पुत्र धनुकधारी साहू ने अधीक्षक भू अभि.परि. भूमि सीधी को आवेदन देकर मॉग रखी कि ग्राम विलौजी तेलियान की भूमि खसरा क्रमांक 175 रकबा 3-96 एकड़ पर बेंची टीप पर से नामान्तरण किया जाय।

अपर आयुक्त के आदेश में अंकित अनुसार तहसील न्यायालय व्दारा कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 25-2-94 (जबकि अभिलेख अनुसार अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला सीधी के प्र.क. 210 अ-6/90-91 में पारित आदेश दिनांक 25-2-94) से वादित भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध महिला सुवसिया, रामसजीवन साहू, रामदास साहू, रामराज साहू ने अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 160/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-5-2003 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली के आदेश दिनांक 6-5-2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 386/ 2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-2006 से विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25-2-94 एंव अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली का आदेश दिनांक 6-5-2003 निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई। तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 1972-तीन/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-2016 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदक कमांक 2 के वारिस एंव अनावेदक 3,4 के अभिभाषकों को सुना गया। शेष अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने पर सम्यक सूचना के अभाव में दैनिक समाचार पत्र नवभारत दिनांक 19-9-18 में सूचना प्रकाशित कराई गई, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष यह उजागर हो चुका था कि आवेदक ने विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की है तथा विक्रय पत्र को विधिवत् रूप से पंजीयन शुल्क देकर आदेश दिनांक 5-4-91 से एम्पाउन्ड कराया गया है किन्तु तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर से आदेश दिनांक 19-8-2016 पारित करते समय उक्त पर दृष्टिचूक हुई है। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि कच्ची विक्रय टीप पर से अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा किये गये नामांत्रण को अपर आयुक्त ने ठीक ही निरस्त किया है कच्ची बेंची टीप 15-5-70 के आधार पर किया गया नामान्तरण शून्यवत् माना जायेगा। अपर आयुक्त के आदेश में निकाले गये निष्कर्ष एंव तत्का.सदस्य, राजस्व मंडल

मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 19-8-2016 में निकाले गये निष्कर्ष सही है इसलिये पुनरावलोकन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तत्कालीन भूमिस्वामी एंव आवेदक के बीच दिनांक 15-5-1970 को विक्रय पत्र स्वरूप 1000/- रू. आदान-प्रदान कर बेची टीप लिखी गई है जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 22-8-06 के पद 5 में स्वीकार किया है। यह भी निर्विवाद है कि इस बेंची टीप को दि. 5-4-91 को निर्धारित शुल्क अदा करके सक्षम अधिकारी से एम्पाउन्ड कराया गया है। क्या बैधीकृत करा लिये गये विक्रय पत्र पर से नामान्तरण किये जाने में बैधानिक अड़चन है ?

**माधव प्रवसाद पांडेय विरूद्ध अरूणकुमार 2015 रा.नि. 53 में बताया गया है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 - अरिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख कलेक्टर आफ स्टाम्प व्दारा स्टांपित - ऐसे स्टांपित वक्रय पत्र पर से नामान्तरण किया जायेगा।**

**अमरदीप गृह निर्माण सहकारी संस्था विरूद्ध गिरवर 2006 रा.नि. 330 एंव शॉतिवाई विरूद्ध जशरथ धोबी 2005 रा.नि. 45 का दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 -जब विक्रय पत्र रजिस्ट्रीकृत हो, तब राजस्व न्यायालय उसकी विधि मान्यता पर की जांच नहीं कर सकते, व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय में जा सकता है।**

**दीपलेण्ड स्पेयर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. इंदौर विरूद्ध रेणु परमार 2015 रा.नि. 480 का दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 - राजस्व न्यायालय रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख पर नामान्तरण करने के लिये आवद्ध है।**

परिलक्षित है कि इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हुये अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला सीधी ने प्र.क. 210 अ-6/90-91 में पारित आदेश दिनांक 25-2-94 से वादित भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी , सिंगरोली ने आदेश दिनांक 6-5-2003 पारित करते समय अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा किये गये नामान्तरण में हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि विक्रय विलेख को शून्य कराने हेतु पीढ़ित पक्षकार को व्यवहार न्यायालय में जाने का उपचार प्राप्त है, संभवतः उक्त परिस्थितियों पर विचार न हो पाने से हुई भूल अथवा तथ्यों के नजरन्दाज हो जाने से अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 22-8-2006 में निकाले गये निष्कर्ष एंव तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा आदेश दि. 19-8-2016 में निकाले गये निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत प्रतीत होने से अपर आयुक्त व्दारा पारित

आदेश दिनांक 22-8-2006 एंव तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2016 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1972-तीन/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-2016 , अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 386/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 160/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-5-2003 तथा अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला सीधी व्दारा प्र.क्र. 210 अ-6/90-91 में पारित आदेश दिनांक 25-2-9 उचित होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर